सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 289 / 18 निर्णय दिनांकः 18–07–2019

1. सोणे खॉ पुत्र ईलाहीबक्स जाति मुसलमान निवासी भानसर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. हारूण खॉ पुत्र गुलामखॉ जाति मुसलमान निवासी राजासर भाटियान तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छत्तरगढ़।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 28–09–2016
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितिः–

1. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 28–09–2016 जिसके द्वारा आवंटन नियमों के विपरीत जाकर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 1 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/52 की 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु आवेदन पेश किया तथा अपीलांट के साथ–साथ रेस्पोडेन्ट व रामकुमार आदि आवेदकों द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 28–09–2016 को वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किये जाने से पूर्व अपीलांट व अन्य आवेदकों को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों पर रेस्पोडेन्ट की प्रथम वरियता मानते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के मनमर्जी तरीके से उक्त आवेदित भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटन कर दी गई। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में मुरब्बा नम्बर 207/51 के लिये आवेदन किया गया था जिसे बाद में कांटछांट करते हुए मुरब्बा नम्बर 207/52 किया गा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया गया है एवं न ही वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व न तो अपीलांट का कोई नोटिस प्रदान किया गया ना ही अन्य आवेदकों को कोई सूचना, नोटिस अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति में रखा जाकर पात्रता व वरियता निर्धारित करते हुए आवंटन किया जाना होता है। वादगत् भूमि के आवांटन हेतु अपीलांट का भी आवेदन था। इसलिए आराजी जैर के आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। जिसे अनदेखा कर अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का आवंटन

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि पहुँचाई है। यदि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु सभी समान वरियता के पक्षकारों को आवंटन हेतु बुलाया जाता तो निश्चित रूप से बोली लगती व अधिकतम बोलीदाता को वादगत् भूमि का आवंटन किया जाता। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो कानून की दृष्टि में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि सभी आवेदकों को सुनवाई व अवसर प्रदान करते हुए प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि जहॉं प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो व प्रकरण मैरिट पर मजबूत हो वहॉं मियांद के बिन्दु को गौण करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या को आवाजें लगवाये जाने के उपरान्त उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि वादगत् भूमि चक 1 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/52 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य आवेदको द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अपीलांट व अन्य आवेदकों के उपस्थित नहीं आने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि की जॉच करने के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से वादगत् भूमि चक 1 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/52 की 25 भूमि का आवंटन आदेश जैर अपील के माध्यम से किया गया था। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट द्वारा मौके पर ही वादगत् भूमि की निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी तथा शेष राशि कालान्तर में जमा करवाते हुए वादगत् का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के बाबत् तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं।

अदालत मातहत द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया को अपनाये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवंटन बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 28—09—2016 के विरूद्ध अपील 19—12—2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा एवं हितबद्व पक्षकारों को नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पीठ पीछे पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को शमन किया जाता है।

प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट हारूणखॉ द्वारा मुरब्बा नम्बर 207/51 के लिये आवेदन के लिये आवेदन किया गया था। जिस पर बाद में

अपलेखन करते हुए 207/52 किया गया। तहसीलदार ने रिपोर्ट भी मुरब्बा नम्बर 207/52 के बारे में की है। हारूणखॉ राजासर भाटियान का निवासी है जबकि अपीलांट सोणेखॉ चक 1 डीएसएम जहॉ भूमि आवंटन हेतु प्रकाशित की गई, का ही निवासी है। फिर भी प्राथमिकता में हारूणखॉ को ऊपर माना गया। आवंटन नियम 7 में निर्धारित प्राथमिकतओं में प्रथम अस्थाई पट्टाधारक, द्वितीय उसी ग्राम का भूमिहीन व्यक्ति व तृतीय उसी तहसील का भूमिहीन व्यक्ति आदि है। अपीलांट सोणे खॉ उसी गॉव चक 1 डीएसएम का निवासी था जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हारूणखॉ उसी चक का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्रावली में नहीं है। ऐसी स्थिति में प्राथमिकता निर्धारण का तरीका मनमाना एवं अविवेकपूर्ण है।

आवंटन अधिकारी की उक्त कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंधन करते हुए एवं मनमाना तरीके से की गई है। इस प्रकिया में अपीलांट के अलावा अन्य पात्र लोगों को जानबूझकर वंचित करने के लिए मिथ्या कार्यवाही लिखी गई व जानबूझकर प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत करने के अवसर से वंचित करने के कारण राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आवंटन अधिकारी का यह निर्णय पुष्टी योग्य नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 28—09—2016 जिसके तहत चक 1 डीएसएम के मुरब्बा नम्बर 207/52 की भूमि हारूणखॉ वल्द गुलामखॉ को आवंटित की गई, निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, छत्तरढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व अन्य आवेदकों की प्राथमिकताओं का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निर्धारण करते हुए पुनः आवंटन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर